कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा),उत्तराखण्ड,देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-194/2017-18/

दिनांक : /05/2018

सेवा में,

अधशासी अधिकारी

नगर पंचायत, भीमताल

जनपद- नैनीताल

वषय : नगर पंचायत भीमताल, जनपद- नैनीताल का वर्ष 04/2015 से 03/2016 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग II (अ) में शून्य प्रस्तर तथा भाग-II (ब) में 05 प्रस्तर एवं STAN शुन्य प्रस्तर हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-2 (अ) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं भाग-2 (ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0: स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-194/2017-18/ दिनांक : /05/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साई इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून

2- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1**94** वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ धकारी नगर पंचायत भीमताल, जनपद नैनीताल, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ धकारी नगर पंचायत भीमताल, जनपद नैनीताल, के माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अ भलेखों की लेखा परीक्षा श्री हिमांशु शर्मा सहायक लेखापरीक्षा दिनांक 16.03.2018 से 23.03.2018 तक श्री संजय कुमार वर्मा लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राजेश डोभाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री ललित मोहन बिष्ट, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **15.03.2016** से **21.03.2016** तक संपादित की गयी थी जिसमें **04/2012** से **03/2015** तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र**:-

(इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौकोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाए**)**

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत भीमताल, जनपद- नैनीताल को विगत तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण

समस्त धनराशि ( ) में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)		अवशेष			
							स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)	
	स्थापना (NP)	गैर स्थापना (P)	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	0	3448304	4254761	4254761	8466000	9110801	0	0	2803503	0
2015-16	0	2803503	5772757	5772757	10693000	11671552	0	0	1824951	0
2016-17										

(ब)

वर्ष	2014-15	2015-16
प्रारम्भिक शेष	3848853	2935964
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ		
(क) केन्द्रांश (13 वा वत्त)	1593000	1979000
(ख) राज्याशं (राज्य वत्त)	6873000	10864000
(ग) अन्य प्राप्तियाँ	1669145	1653822
व्यय	11048034	15234315
अंतिम शेष	2935964	2198471

(स)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	13वॉ वत्त	-	1593000.00	1593000.00	-
2015-16	14वॉ वत्त	-	1529000.00	1529000.00	-
2015-16	सांसद नि ध	-	450000.00	450000.00	-

भाग **2(**ब)

प्रस्तर 1(अ): वत्तीय वर्ष 2016-17 के लेनदेनों के संबंध मे रोकड़ बही**,** बाउचर एवं अन्य संबन्धित अ भलेखो का रखरखाव न कया जाना।

वत्तीय हस्तपुस्तिका खंड V भाग I (लेखा नियम) के नियम 27-अ के अनुसार प्रत्येक कार्यालय मे प्रारूप संख्या- दो मे रोकड़ बही का रखरखाव कया जाना प्रावधानित है। नियमानुसार रोकड़ बही मे समस्त प्राप्तियों एवं व्ययों को दैनिक आधार पर दर्ज कया जाना चाहिए।

इकाई की लेखा परीक्षा (मार्च 2018) मे अ भलेखो की जांच मे देखा गया क वर्ष 2016-17 के दौरान इकाई को आवंटित रा श रु 119.72 लाख (केंद्रीय वत्त एवं राज्य वत्त)[1] तथा रु 18.25 लाख के अवशेष से कए गए व्यय रु 122.50 लाख, स्वयं के आय तथा उसके सापेक्ष व्यय के संबंध मे रोकड़ बही का रख रखाव नहीं कया गया था। लेखा ववरण न बनाए जाने के साथ साथ अन्य लेखा रखरखाव संबंधी क मयाँ निम्न थी:

- रोकड़ बही (वर्ष 2016-17) का रख रखाव नहीं कया गया था, तथा वर्ष (2015-16) के रोकड़ बही मे दैनिक/मा सक/वा र्षक लेखाबन्दी नहीं कया गया था,
- व भन्न भुगतान के संबंध मे निर्गत कए गए चेक हेतु निर्गत पंजी का रखरखाव नहीं कया गया था,
- इकाई के वा र्षक आय व्यय के संबंध मे वा र्षक बजट ववरण नहीं बनाया गया था,
- उत्तर प्रदेश नगर पा लका अ धनियम, 1916 (उत्तराखंड राज्य मे यथाप्रवृत) के धारा- 99 के अनुसार, वा र्षक बजट को तैयार कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर उसकी स्वीकृति नहीं ली जा रही थी,
- बोर्ड से स्वीकृति के बिना व भन्न मदों मे प्राप्त रा शयो को व्यय कया गया था,
- वत्तीय वर्ष 2016-17 के व्यय बीजक/बाउचर इकाई मे नहीं उपलब्ध थे, जिसके कारण वर्ष 2016-17 के वत्तीय ववरणो की लेखा परीक्षा नहीं की जा सकी,
- कए गए भुगतानों के दौरान बाउचर पर उसकी संख्या नहीं डाली गयी थी,

---

[1] राज्य वत्त आयोग योजना अंतर्गत आवंटित:रु 22.91 लाख * 4 कश्त = रु 91.64 लाख , केंद्रीय वत्त आयोग अंतर्गत आवंटित : रु 13.56 लाख + रु 14.52 लाख = रु 28.08 लाख वर्ष, 2016-17 मे कुल आवंटन रु 119.72 लाख।

- लेखा परीक्षा अव ध मे बैंक समाधान ववरण के माध्यम से लेखे का मलान नहीं कया गया था।

इकाई द्वारा वत्तीय वर्ष 2016-17 के अव ध हेतु रोकड़ बही का रखरखाव नहीं कए जाने के कारण इकाई के माहवार आय व्यय की जांच, लेखा परीक्षा मे वस्तृत जांच हेतु माह के चयन की कार्यवाही नहीं की जा सकी, तथा लेखापरीक्षा भी सुनिश्चित की जा सकी।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा (मार्च 2018) मे इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो को स्वीकार करते हुए बताया गया क निकाय के पूर्व ल पक द्वारा वर्ष 2016-17 से संबन्धित अ भलेख उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। संबन्धित वर्ष के व्यय वाउचर संग्रहीत कए जाने की कार्यवाही की जा रही है जिसे बाद मे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कया जाएगा। इकाई द्वारा यह भी बताया गया क पूर्व अ धकारी/कर्मचारी द्वारा औपचारिक रूप से कार्यभार दिये जाने की कार्यवाही भी नहीं की गयी थी, इस संबंध मे उन्हे बार- बार निर्देश जारी कए गए हैं तथा प्रकरण को शहरी वकास निदेशालाय, देहरादून को संज्ञान मे लाये जाने हेतु प्रे षत कर दिया गया है (नवम्बर, 2017)।

अतः इकाई द्वारा वत्तीय वर्ष 2016-17 के अव ध हेतु रोकड़ बही का रखरखाव नहीं कए जाने, व्यय बाउचर के रखरखाव न कए जाने का तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 1(ब): व्यय की वस्तृत लेखापरीक्षा हेतु चयनित माह जून- 2015 से संबन्धित व्ययक लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत नहीं कया जाना |

वत्तीय वर्ष 2015-16 के लेखा भलेखों यथा- रोकड़ बही, आय व्यय ववरण आदि के अवलोकन मे निम्न तथ्य प्रकाश मे आए:

- रोकड़ बही मे दैनिक एवं मा सक लेखाबन्दी नहीं की जा रही थी।
- बैंक समाधान ववरण मा सक रूप से एवं समु चत रूप से तैयार नहीं कए जा रहे थे।
- व्यय की वस्तृत लेखापरीक्षा हेतु चयनित माह जून- 2015 से संबन्धित रु 16.75 लाख[2] के व्ययक लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत नहीं कए गए थे।
- प्राप्तियों के वस्तृत लेखापरीक्षा के लए चयनित कए गए माह जुलाई 2015 से संबन्धित दुकान कराए की रसीदों मे रु 23,100/- की रसदें प्रस्तुत नहीं की गयी।

लेखा परीक्षा मे व्यय वाउचर के प्रस्तुत न कए जाने के कारण उनकी जांच न की जा सकी, चयनित माह के समस्त वाउचर प्रस्तुत कया जाना अनिवार्यतः अपे क्षत था।

इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो को स्वीकार करते हुए बताया गया क वाउचरो को संग्रहित कर लेखापरीक्षा मे उपलब्ध कराया जाएगा।

अतः चयनित माह के रु 16.75 लाख के वाउचर प्रस्तुत न कए जाने का तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

---

[2] (i) श्री दान संह जंतवाल ठेकेदार को वर्ड संख्या 04 मे सी सी रोड व दीवार निर्माण हेतु चेक संख्या 3600800,606150001 रु 2.87 लाख दिनांक 02.06.2015 वाउचर नंबर 14, (ii) श्री कौशल पोखरिया ठेकेदार को वर्ड संख्या 05 एवं 06 मे निर्माण कार्य की जमानत का भुगतान चेक संख्या 415322 रु 0.16 लाख दिनांक 10.06.2015 वाउचर नंबर 17, (iii) श्री वजय संह नेगी ठेकेदार दो वर्ड संख्या 05 मे सी सी निर्माण कार्य का भुगतान चेक संख्या 415327 रु 3.84 लाख दिनांक 26.06.2015 वाउचर नंबर 22, (iv) चेक संख्या 415328 रु 2.19 लाख वाउचर संख्या 23, (v) चेक संख्या 415329 रु 4.44 लाख वाउचर संख्या 24 तथा (vi) चेक संख्या 415330 रु 3.25 लाख वाउचर संख्या 25 कुल रु 16.75 लाख।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 2: उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 12(2), 12(3), 13(1) तथा अ धप्राप्ति नियमावली, 2017 नियम अनुसार कार्य न कया जाना।

उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 12(2) तथा अ धप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियम अनुसार रु 25.00 लाख तक के कार्यो के संबंध मे यह सुनिश्चित करने के लए, क न्यूनतम तीन नि वदाएँ प्राप्त हो, प्रश्नगत सामग्री के लए नि वदा दस्तावेज़, पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की सूची से तीन से अ धक फर्मो को सीधे स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत डाक/ कोरियर से भेजे जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त सी मत नि वदा के लए वेबसाइट द्वारा भी प्रचार कया जाना चाहिए।

नियम 12 (3) के अनुसार यह सुनिश्चित कया जाना चाहिए क प्रतिस्पर्धा के आधार पर अ धक अनु क्रयाशील नि वदा प्राप्त करने के लए यथा संभव अ धकतम अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओ को चन्हित कया जाना चाहिए।

वज्ञापन द्वारा नि वदा पृछा के संबंध मे नियम 13(1) तथा नियमावली 2017 के नियम 10 मे प्रावधानित है क रु 25 लाख तथा उससे अ धक क अनुमानित लागत की सामग्री की अ धप्राप्ति के लए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रो मे वज्ञापन द्वारा नि वदा आमंत्रित की जाय। रु 25 लाख से कम कीमत की सामग्री की अ धप्राप्ति, व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र और वशेष मामले मे व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र मे वज्ञापन के माध्यम से की जाए।

इकाई की लेखापरीक्षा (मार्च 2018) मे निर्माण कार्य संबंधी चयनित पत्रवा लयों की जांच मे देखा गया:

- कार्यो का आवंटन तीन से कम नि वदा सूचनाओ के आधार पर कया गया था तथा अ धक अनु क्रयाशील दर प्राप्त करने हेतु इकाई स्तर पर प्रयास नहीं कया गया था,
- कार्यो की लागत मे वचलन निर्धारित सीमा (10 प्रतिशत) से अ धक था जिस पर सक्षम अ धकारी द्वारा स्वीकृति नहीं ली गयी थी,
- स्वीकृत आगणन मे कार्य कस योजना अंतर्गत संपादित कया जा रहा है, उल्लि खत नहीं कए गए थे, जिसके कारण कार्य के सापेक्ष कए गए भुगतान का बजट ववरण सुनिश्चित नहीं कया जा सका,
- कार्यो के सापेक्ष प्रयुक्त सामग्री की जांच नहीं कराई जा रही थी,
- कार्य पंजी का रखरखाव नहीं कया जा रहा था,
- ठेकेदार के बिल से की जाने वाली आय कर, बिक्री कर एवं श्रम उपकर मद की कटौतियों रु 6.40 लाख को संबन्धित लेखा शीर्षो मे जमा नहीं कया गया था (ववरण अनुसूची-ए के अनुसार चयनित पत्राव लयों के आधार पर), की गयी कटौतिया बिना कसी वत्तीय स्वीकृति के थी, तथा नगर पंचायत के बैंक खातो मे पड़ी थी,
- ठेकेदार के बिल से की जाने वाली आय कर, बिक्री कर एवं श्रम उपकर मद की कटौतियों तथा अन्य जमा धनरा श यथा ई एम डी (earnest money deposit), धरोहर रा श आदि के अनुश्रवण हेतु कसी पंजी का रखरखाव नहीं कया जा रहा था।

इस प्रकार, इकाई द्वारा वत्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 मे संपादित कराये गए निर्माण कार्यो मे उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुसार प्रतियोगी दरे प्राप्त कर आवंटन न कए जाने तथा ठेकेदार के बिलों से की गयी आय कर, बिक्री कर एवं श्रम उपकर मद की कटौतियों को वगत दो वर्षो से संबन्धित लेखा शीर्षो मे जमा न कए जाने का तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

लेखापरीक्षा (मार्च 2018) मे इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो की पुष्टि करते हुए बताया गया क भ वष्य मे उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित कया जाएगा, निर्माण कार्य पंजी एवं अन्य संबन्धित पंजी का रखरखाव कया जाएगा व भन्न मदों मे

की गयी कटौतियों को संबन्धित शासकीय लेखा शीर्ष मे जमा करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

अतः उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन कए बिना निर्माण कार्य संपादित कराये जाने, संबन्धित अभिलेखो का रखरखाव न करने एवं ठेकेदारों के बिलों से की गयी आय कर, बिक्री कर तथा श्रम उपकर मदों की कटौतियों के मद मे रु 6.40 लाख को शासकीय लेखा शीर्ष मे जमा न करने का तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

(Appendix A)

नगर पंचायत, भीमताल द्वारा संपादित निर्माण कार्यों में से चयनित कार्यों के सापेक्ष की गयी कटौतियों का विवरण

(राशि रू. में)

क्रमांक	कार्य का नाम	कटौतियों का विवरण			
		आय कर	बिक्री कर	श्रम उपकर	अन्य
1.	Construction of interlocking cc road tiles work at ward no 6 near miss pandey house to mr kandpal house (J no 45)	6986.00 6738.00	18630.00 17968.00	3105.00 2994.00	0.00 0.00
2.	Re construction of cc road and r/wall at ward no 2 near mr vidyasagar house to nagar panchayat bhimtal (Jno 42)	6010.00	16027.00	2671.00	0.00
3.	Construction of cc wall and r/wall work at ward no 1 near (Gorakhpur)kabristan marg to mr kathait house (j no 40)	6258.00 7633.00	16688.00 20356.00	2781.00 3392.00	0.00 0.00
4.	Construction of cc road and r/wall at ward no 3 near nakuchiyatal road to mr sinha house (j no 43)	9337.00	24899.00	4149.00	0.00
5.	Construction of cc tiles work at ward no 7 tassar office (j no 46)	8149.00	21731.00	3621.00	0.00
6.	Construction of cc road and r/wall work at ward no 5 near t r c road to mr sanjay Helens house (j no 44)	8265.00 8244.00	22040.00 21984.00	3673.00 3664.00	0.00 0.00
7.	Construction of r/wall at ward no 2 near dath masjid (j no 41)	5731.00 5996.00	15285.00 15989.00	2547.00 2664.00	0.00 0.00
8.	Construction of cc road and r/wall at ward no 3 near mr d k joshi house to mr rawat house	4803.00	4269.00	2134.00	0.00
9.	Construction development of park at ward no 1 near golu mandir vinayak	6820.00	18187.00	3031.00	0.00

10.	Re construction of cc road and r/wall work at wardno 7 near mrs swati singh house	5398.00	14396.00	2399.00	0.00
11.	Re construction of cc road and railing work at ward no 1 near	5073.00	4509.00	2254.00	0.00
12.	Construction of cc road and wall in ward no 1 near shri g t house to shri naulia	19525.00	17355.00	8677.00	0.00
13.	Construction of cc tiles road work at ward no 6 near d s bisht house to mr ranjan house	11816.00	10503.00	5251.00	0.00
14.	Re construction of cc road at ward no 6 near infront of police thana	2291.00	611.00	1018.00	0.00
15.	Re construction of cc road work at ward no 2 near in front of GIC bhim tal	6664.00	5923.00	2961.00	0.00
16.	Construction of amar shahid durga mall park at ward no 1 near Gorakhpur	3339.00	8906.00	1484.00	0.00
17.	Construction of amar shahid durga mall park at ward no 1 near Gorakhpur	11250.00	0.00	0.00	0.00
18.	Construction of cc road r/wall and railing work at ward no 3 near gosyame house to notiyal house	8068.00	7171.00	3585.00	0.00
19.	Construction of public work at ward no 6 ramleela ground at mallital.	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Construction of cc interlocking tiles road work at ward no 6 and 7 near jagdish Chandra to mr Mahesh lal	2074.00	5532.00	922.00	0.00
21.	Construction of amar shahid durga mall park at ward no 1 Gorakhpur	29766.00	0.00	0.00	0.00
22.	Construction of wall near L P Inter college ward no 2	1821.00	4856.00	809.00	0.00
23.	Construction of cc road	7322.00	6508.00	3254.00	0.00

	and r/wall at ward no 2 near mr sulaman khan house				
24.	Construction of cc road and r/wall at ward no 5 near mr pant house to mr bacchilal houe	4801.00 4896.00	12803.00 13056.00	2133.00 2176.00	0.00 0.00
25.	Construction of cc road r/wall railing work at ward no 2 near mrs anandi devi house	1401.00	0.00	0.00	0.00
	Total :	**2,16,475.00**	**3,46,182.00**	**77,349.00**	**0.00**
Grand total of all deductions:		**Rs 6,40,006.00 (Rs Six lakh Forty thousand and Six only)**			

Audit officer

भाग 2(ब)

प्रस्तर 3: पंचायत द्वारा स्वयं की आय हेतु संप त्त कर, तहबाजारी, लाइसेन्स शुल्क, दुकान कराया आदि के आरोपण हेतु प्रयास न कया जाना।

निकाय की स्वयं की आय मे वृद् ध के उद्देश्य से आरो पत कए जाने वाले संप त्त कर, तहबाजारी, लाइसेन्स शुल्क, दुकान कराया आदि से संबन्धित पत्राव लयों के अवलोकन मे देखा गया क:

- वत्तीय वर्ष 2015-16 मे संप त्त कर की कुल मांग रु 34.07 लाख के सापेक्ष रु 9.53 लाख (28 प्रतिशत) तथा वर्ष 2016-17 मे कुल मांग रु 37.61 लाख के सापेक्ष रु 8.63 लाख (23 प्रतिशत) की ही वसूली की गयी थी,
- पा र्कंग स्थल पर स्थित पंचायत की दुकानों[3] के आवंटियों के साथ कए गए अनुबंध की शर्त के अनुपालन मे वगत नौ वर्षो से कराए का पुनरीक्षण नहीं कया गया था तथा पुरानी दरो पर ही कराए की वसूली की जा रही थी, दुकान संख्या- 01 के आवन्टी के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित कए बिना ही दुकान आवंटित की गयी थी (जून 2004)।

इससे स्पष्ट था क स्वयं के राजस्व की वृद् ध हेतु निकाय द्वारा प्रयास नहीं कए जा रहे थे, मांग एवं वसूली के संबंध मे पंजी का रखरखाव कर अनुश्रवण नहीं कया गया था।

लेखापरीक्षा मे इं गत (मार्च 2018) कए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो को स्वीकार करते हुए बताया गया क संप त्त कर की वसूली का प्रतिशत बढ़ाने हेतु ठोस उपाय कए जाएगे, इस संबंध मे बकायेदारों को वसूली आदेश (आर सी) भी जारी कए गए हैं। दुकानों के अनुबंध हस्ताक्षरित कर कराए का पुनरीक्षण कया जाएगा। मांग एवं वसूली संबंधी पंजिका का रखरखाव कया जाएगा।

तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

---

[3] दुकान संख्या 02, 03 और 04

भाग 2(ब)

प्रस्तर 4: नगर मे उत्पादित एवं संग्रहित कूड़े को नगरीय ठोस अप शष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम मे निर्धारित प्र क्रया के अपनाये बिना अप्रा धकृत ट्रें चंग ग्राउंड पर डाला जाना।

नगरीय ठोस अप शष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 के नियम 4(1) मे प्रावधानित है क प्रत्येक नगरपा लका प्रा धकारी नगरपा लका की सीमाओ के भीतर इन नियमो के उपबंधो के कार्यान्वयन तथा नगरीय ठोस अप शष्टों के संग्रहण, भंडारण, पृथककरण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन के लए कसी भी अवसंरचनात्मक वकास के लए उत्तरदायी होगा।

नियम 4(2) के अनुसार, नगर पा लका प्रा धकारी या कसी सु वधा का प्रचालक, अनुसूची- 1 के अनुसार कार्यान्वयन कार्यक्रम की अनुपालन की दृष्टि से राज्य बोर्ड या स मति से, अप शष्टों के प्रसंस्करण और खनन प्रसु वधा की, जिसके अंतर्गत भू म भरण भी है, की स्थापना के लए आवेदन करेगा।

नियम 4(4) के अनुसार नगर पा लका प्रा धकारी, अपनी वा र्षक रिपोर्ट को प्रारूप- 2 मे (क) कसी महानगर की दशा मे, यथास्थिति संबन्धित राज्य या संघ के शहरी वकास वभाग के प्रभारी स चव को, (ख) सभी अन्य नगरो या शहरो की दशा मे, संबन्धित ज़िला मैजिस्ट्रेट को प्रतिवर्ष 30 जून को या उसके पूर्व राज्य बोर्ड या स मति को प्रतिवेदन भेजेगा ।

निदेशक, शहरी वकास वभाग द्वारा नगरीय ठोस अप शस्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम- 2000 एवं 2003 के अनुपालन के संबंध मे निर्दे शत[4] कया गया था, क नियम- 4 मे अप शष्टों के निस्तारण की ज़िम्मेदारी नगर निगम, नगर पा लका परिषद एवं नगर पंचायत की है, जिसके लए उक्त के प्रबंधन हेतु नियम- 6 के अंतर्गत स्थानीय निकाय को प्रा धकार प्राप्त करना है। नगरीय ठोस अप शष्टों के निस्तारण हेतु सर्वप्रथम कूड़ा उत्पादित क्षेत्रो से कूड़े का पृथककरण (Segregation at source) कया

[4] पत्रांक 3034/श. व. नि . - 283/2003 दिनांक 01.01.2004

जाना अत्यंत आवश्यक है जो क वर्तमान मे केवल कुछ स्थानो मे ही कया जा रहा है। अप शष्टों को सीधे घरो से एकत्र कर कए जाने एवं पृथककरण हेतु जनता की सहभा गता आवश्यक है।

शहरी निकायो मे मोहल्ला स्वछता स मति गठित कए जाने हेतु निर्दे शत[5] कया गया है। मोहल्ला स्वछता स मति अपने मोहल्ले मे जन सहयोग प्राप्त कर यह सुनिश्चित कराएगी क घरो मे ही कूड़ा का पृथककरण कया जाए, प्रत्येक घरो मे दो डस्टबिन रख कर कूड़ा पृथक-पृथक एक मे जै वक तथा एक मे अजै वक रखा जाए। जै वक कूड़े को सीधे ट्रें चंग ग्राउंड मे ले जाकर कम्पोस्ट खाद बनाई जाएगी एवं अजै वक कूड़े को पृथक्कृत कर अलग से निस्तारित कया जाएगा। उपरोक्त शासनादेश एवं उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आदे शत था क कूड़े को कसी भी दशा मे जलाया नहीं जाएगा[6] तथा कूड़े का परिवहन बंद गा ड़यो मे कया जाएगा ता क कूड़ा सड़क मे न बिखरे, कूड़े को अलग-अलग बंद कंटेनरो मे परिवहन कया जाएगा।

अ भलेखो की जांच मे देखा गया क नगर पंचायत, भीमताल के कुल सात मे से छः वार्डो से आं शक रूप से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने का कार्य तथा अन्य क्षेत्रो मे तीन वाहन, तीन रिक्शा गाड़ी के माध्यम से कूड़ा नगर पंचायत सीमा से नौ कमी दूरी पर कुमाऊँ कोट का फेर नामक स्थान पर 0.20 हैकटैर भू म मे डाला जा रहा था।

लेखा परीक्षा (मार्च 2018) मे इं गत कए जाने पर तथ्यो को स्वीकार करते हुए बताया क ठोस अप शष्ट प्रबंधन हेतु प्रा धकार पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है, सात वार्डो मे से छः वार्डो से कूड़े को पंचायत की गाड़ी से संग्रहीत कर ट्रें चंग ग्राउंड पर बिना पृथक्कीकरण के डाला जा रहा है, संग्रहीत कूड़े की कोई प्र क्रया नहीं की जा रही है, प्रा धकार पत्र प्राप्त होने पर प्रसंस्करण की कार्यवाही की जाएगी।

अतः नगर मे उत्पादित एवं संग्रहीत कूड़े को ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियमावली मे निर्धारित प्र क्रया के अपनाये बिना अप्रा धकृत ट्रें चंग ग्राउंड पर डाले जाने का तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग 2(ब)</u>

---

[5] शासनादेश संख्या 254 / श व आ / स्व स / 2003

[6] उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के पत्र दिनांक 29.09.2014

प्रस्तर 5: नगर पंचायत मे उपलब्ध 11 वाहनो का अनुपयोगी पड़े रहना।

नगर पंचायत द्वारा ठोस अप शष्ट प्रबंधन हेतु नगर के व भन्न वार्डो से कूड़े के संग्रहण हेतु वाहनो की मांग की गयी थी, के अनुक्रम मे पंचायत को प्राप्त वाहनो का ववरण निम्न था:

क्रम संख्या	गाड़ी का नाम	गाड़ी की संख्या
1.	टाटा एस	06
2.	जे सी बी	01
3.	बैग लफ्टर	03
4.	पथ प्रकाश ए एफ	01
कुल संख्या		11

इकाई द्वारा प्राप्त कराये गए ववरण के अनुसार इकाई मे चार चालक नियुक्त/तैनात थे, इस प्रकार उपलब्ध वाहनो को उपयोग मे लाया जाना संभव नहीं था तथा इस स्थिति मे प्राप्त वाहन अनुपयोगी सद्ध हो रहे थे व ठोस अप शष्ट प्रबंधन की कार्यवाही का प्रभा वत होना स्वाभा वक था। प्रयोग मे लायी जा रही गा ड़यो के लॉग बुकों की जांच मे देखा गया क प्र वष्टिया कसी सक्षम अ धकारी द्वारा सत्या पत नहीं की जा रही थी।

लेखापरीक्षा (मार्च 2018) मे इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया क चालको की व्यवस्था /तैनाती हेतु कार्यवाही की जा रही है।

अतः पंचायत मे वाहनो के अनुपयोगी पड़े रहने का तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-III

(क) परिचयात्मक : कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत भीमताल, जनपद- नैनीताल** के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **03/2016** तक की संप्रेक्षा श्री हिंमाशु शर्मा, स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक **16.03.2018** से **23.03.2018** तक संपादित की गयी |

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
34/2012-13	शून्य	प्रस्तर संख्या 01 से 02	शून्य

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

शून्य

भाग – V
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि, जनपद-रूद्रप्रयाग** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i) वर्ष 2016-17 की रोकड़ बही एवं बाऊचर्स
(ii) अनुदान पंजी, बैंक समाधान विवरण, चैक निर्गत पंजी
(iii) कार्य पंजी, भंडार पंजी 2015-16, 2016-17

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01.	श्री पान सिंह बोहरा	अधिशासी अधिकारी	

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत भीमताल, जनपद-नैनीताल** को पत्रांक संख्या स्था.नि./ले.प./न.ले.प.टि./2017-18/35 दिनांकित 23.11.2017 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून-248 195** को प्रेषित कर दी जाय |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
स्थानीय निकाय